रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022020-216094
CG-DL-E-12022020-216094

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

(प्रकरण सं. ओआई-05/2020)

विषयः चीन जन.गण., मलेशिया और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पाउडर फार्म में ब्लैक टोनर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/6/2020-डीजीटीआर.—1. मै. प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि. तथा मै. इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमि. (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" कहा गया है) के अनुसरण में चीन जन.गण., मलेशिया और ताईवान (जिसे यहां आगे "संबद्ध देशों" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से

निर्यातित "पाउडर फार्म में ब्लैक टोनर" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तुओं" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों से उत्पन्न या निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को चोट का आरोप लगाया और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद "पाउडर फार्म में ब्लैक टोनर" है । टोनर का प्रयोग कागज पर प्रिंटिंग सामग्री और चित्रों का अंकन करने के लिए लेजर प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर्स, डिजिटल मल्टी फंक्शन डिवाइसिस (एमएफडी) आदि में किया जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क वर्गीकरण 37079010 के तहत वर्गीकृत किया गया है । हालांकि, पीयूसी को कोड 37079090 के अंतर्गत भी आयातित किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

5. जांच के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित टोनर्स शामिल नहीं हैं:-

(क) कलर टोनर्स

(ख) एमआईसी आर टोनर (चैकों के मुद्रण हेतु प्रयुक्त विशेष टोनर)

(ग) प्रिंटिंग उपकरणों के मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आयातित टोनर । टोनर का प्रयोग प्रिंटिंग उपकरण में किया जाता है ।

(घ) कारटेजिज में टोनर

(ड.) द्रव रूप में टोनर

<u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने दावा किया है कि पी यू सी जो भारत में कथित रूप से पाटित की गई है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं और यह कि पाटित आयातों और आवेदकों द्वारा विनिर्मित घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं में न तो तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यों अथवा न ही पाटित आयातों के अंतिम प्रयोगों के रूप में कोई ज्ञात अंतर है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों प्रतिस्थापनीय हैं अत: पाटनरोधी नियमावली के तहत इन्हें "समान वस्तु" माना जाना चाहिए ।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै. प्योर टोनर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमि. एवं मै. इंडियन टोनर्स डेवलपर्स प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के दावे के अनुसार भारत में समान वस्तुओं का कोई अन्य विनिर्माता नहीं है । आवेदकों का दावा है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से पी यू सी का आयात किया है न ही वे संबद्ध देशों में पी यू सी के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं, न ही वे संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं ।

8. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में अंतर्निहित प्रावधानों की शर्तों में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

कथित पाटन का आधार

i. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 की शर्तों में निर्धारित किया जाना चाहिए । आवेदकों ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) को उद्धत किया है और उसका सहारा लिया है तथा कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) की शर्तों में संबद्ध वस्तुओं को उत्पादित करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अभिभावी नहीं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि चीनी घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि चीनी निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के परीक्षण पारित नहीं करते हैं । आवेदकों ने कहा है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, चीन जन.गण. से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने वाले निर्यातकों द्वारा किए गए खंडन के अधीन, चीन जन. गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में एक अनुमान लगाया गया है और चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 की शर्तों में लगाया गया है ।

10. आवेदकों ने कहा है कि वे किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में अभिभावी संबद्ध वस्तुओं के लिए कीमत संबंधी विवरणों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं । आवेदक प्रस्ताव करते हैं, कि जांच शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, सामान्य मूल्य का निर्माण समान उत्पाद के लिए भारत में अदा की गई या अदायगी योग्य वास्तविक कीमतों के आधार पर किया जा सकता है । तद्नुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के प्रयोजन हेतु, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण, भारत में उत्पादन की लागत और लाभ के उचित परिवर्द्धन के सहित सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के आधार पर किया है ।

ii. मलेशिया तथा ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने मलेशिया और ताईवान में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में अपनी समर्थता व्यक्त की है । न ही उन्होंने सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए ऐसे किसी देश को मलेशिया या ताईवान से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमतों को लेने के लिए किसी

उचित देश का सुझाव दिया है । इसलिए, प्राधिकारी ने, जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, मलेशिया और ताईवान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन की लागत और लाभ के उचित परिवर्द्धन सहित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के आधार पर किया है ।

निर्यात कीमत

12. प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की संगणना वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर की है । समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्ययों, बैंक प्रभारों, कमीशन, क्रेडिट लागत और अंतर्देशीय माल भाड़ों के प्रति समायोजन किया गया है ।

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पी यू सी के संबंध में महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन को दर्शाते हैं । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पी यू सी पाटित किए जा रहे हैं ।

क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

14. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदकों ने भारत में घरेलू उद्योग पर और खपत, कीमत कटौती और कीमत ह्रास के प्रभाव में तथा कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदकों ने दावा किया है कि इसके निष्पादन पर उत्पादन, बिक्रियों के संबंध में विपरीत प्रभाव पड़ा है और परिणामस्वरूप लाभों, नियोजित पूंजी पर आय पर और नकदी प्रवाह में गिरावट, घरेलू उद्योग के लिए कीमत से कम कीमत बिक्री पर और क्षतिरहित कीमत पर बिक्री पीयूसी के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हैं। इस बात के प्रथमदृष्टया प्रमाण हैं कि क्षति विद्यमान है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही है ।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से भली भांति पुष्टि किए गए लिखित आवेदन के आधार पर और स्वयं संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं के संतुष्ट होने पर, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसरण में, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होता, एक जांच की शुरुआत करते हैं ।

संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., मलेशिया तथा ताईवान हैं ।

जांच की अवधि (पीओआई)

17. आवेदक ने जांच अवधि (जिसे यहां आगे पीओआई भी कहा गया है) 01 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 माह) प्रस्तावित की । परंतु प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 माह) प्रस्तावित की। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2016- मार्च 2017, अप्रैल 2017- मार्च 2018, अप्रैल 2018- मार्च 2019 और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांत अपनाए जाएंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें।

20. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित स्वरूप और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं।

21. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की

व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले किसी पक्षकार द्वारा नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में साथ ही जारी व्यापार नोटिसों की शर्तों में इसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है । उपर्युक्त का पालन करने में विफलता उत्तर/निवेदन की अस्वीकृति का कारण हो सकती है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

i. गोपनीय के रूप में चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)
ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

27. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

28. गोपनीय रूपांतरों में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

29. अगोपनीय रूपांतरों को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह

सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

30. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

31. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरों के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल की निरीक्षण</u>

33. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

<u>असहयोग</u>

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस.भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2020

(Case No. OI 05/2020)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Black Toner in powder form" originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan.

F.No.6/6/2020-DGTR.—1. M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for original anti-dumping duty investigation on imports of "Black Toner in powder form" (hereinafter referred as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan. (hereinafter referred to as "subject countries")

2. The Applicant has alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration is Black Toner in powder form. Toner is used in laser printers, photocopiers, digital multifunction devices (MFD), etc. to form the printed text and images on the paper.

4. The PUC is classified under the tariff custom classification 37079010. The PUC, however, has been also imported under the code 37079090. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

5. The following Toners are not covered within the scope of the investigation:

a) Color Toner
b) MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques)

c) Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment. Toner is used in Printing Equipment
d) Toner in Cartridges
e) Toner in liquid form

Like article

6. The Applicants have claimed that the PUC, which are allegedly dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry and that there are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced goods manufactured by the Applicants. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules.

Domestic industry

7. The application has been filed by M/s Pure Toners and Developers Pvt. Ltd and M/s Indian Toners and Developers Ltd. As per the claim of the Applicants, there is no other manufacturer of the like articles in India. The Applicants have claimed that neither they have imported the PUC from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of PUC in the subject countries nor are they importer of the subject goods from the subject countries.

8. On the basis of the information available, the Authority notes that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of alleged dumping

i. Normal value for China PR

9. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited and relied upon Para 8(2) of Annexure I of the Rules and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicants have stated that for China normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above, subject to rebuttal by the responding exporters from China PR, a presumption has been made regarding non-market economy for China PR and normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

10. The Applicants have stated that they are not in a position to obtain any price details for the subject goods prevalent in any of the market economy third country. The Applicants have proposed that, for the purpose of initiation, normal value may be constructed on the basis of actual prices paid or payable in India for the like product. Accordingly, the Authority has, for the purpose of initiation, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India and selling, general and administrative expenses along with reasonable addition for profit.

ii. Normal value for Malaysia and Taiwan

11. The Applicants have expressed their inability to furnish information in respect of domestic selling price of the subject goods in Malaysia and Taiwan. They have also not suggested any appropriate country for taking export price of subject goods from Malaysia and Taiwan to such a country, for construction of normal value. The Authority has, therefore, for the purpose of initiation, constructed the normal value for Malaysia and Taiwan on the basis of cost of production in India and selling, general and administrative expenses along with reasonable addition for profit.

Export price

12. The Authority has computed the export price for all the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and inland freight.

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal link

14. Information furnished by the Applicants have been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance have been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of PUC at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence

that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

16. The subject countries for the present investigation are China PR, Malaysia and Taiwan.

Period of Investigation (POI)

17. The Applicants proposed the Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") 1st April, 2019 – 30th September, 2019 (6 months). However, the Authority proposes to consider the POI as 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 months). The injury investigation period will cover the periods April 2016-March 2017, April 2017- March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

19. The known exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide nnecessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Add. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.12 14:07:54 +05'30'